वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

फाइल संख्या 4-10(39)/2024-एचआर-II दिनांक: 21.05.2025

कार्यालय ज्ञापन

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सीएसआईआर मुख्यालय और सम्पूर्ण भारत में स्थित अन्य सीएसआईआर प्रतिष्ठानों के लिए ग्रुप III (1) से ग्रुप III (7) तक के ग्रुप III अभियंताओं के स्थानांतरण और तैनाती हेतु दिशानिर्देश – तत्संबंधी संशोधन।

आपका ध्यान दिनांक 09-05-2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11-17(1)/ट्रांसफर पॉलिसी/2017-इंजीनियरिंग की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सीएसआईआर-मुख्यालय और सम्पूर्ण भारत में स्थित अन्य सीएसआईआर प्रतिष्ठानों के लिए ग्रुप III (1) से ग्रुप III (7) तक के ग्रुप III अभियंताओं के स्थानांतरण और तैनाती हेतु दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 5(ii) के संदर्भ में, ईएसडी सीएसआईआर मुख्यालय सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में अभियंताओं की क्रमावर्तिता (रोटेशन)/स्थानांतरण के कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यालय होगा। इस मामले की समीक्षा की गई है और महानिदेशक, सीएसआईआर ने अनुमोदन प्रदान किया है कि इसके बाद, अभियंताओं के स्थानांतरण का काम ईएसडी के बजाय सीएसआईआर मुख्यालय के एचआर-II प्रभाग द्वारा देखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 5(iii) के संदर्भ में, जिसमें कहा गया है कि ईएसडी, सीएसआईआर मुख्यालय अभियंताओं/तकनीकी अधिकारियों की क्रमावर्तिता (रोटेशन)/स्थानांतरण का डेटाबेस बनाए रखेगा और एक उपयुक्त मॉनीटरिंग तंत्र तैयार करेगा। महानिदेशक, सीएसआईआर ने अनुमोदन प्रदान किया है कि ईएसडी सीएसआईआर के बजाय अब सीएसआईआर मुख्यालय का एचआर-II प्रभाग अभियंताओं/तकनीकी अधिकारियों की क्रमावर्तिता (रोटेशन)/स्थानांतरण का डेटाबेस बनाए रखेगा और एक उपयुक्त मॉनीटरिंग तंत्र तैयार करेगा।

अतः उक्त दिशा-निर्देश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

21/5/2025
(आलोक शर्मा)
उप सचिव

प्रेषित,
सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों/केंद्रों के निदेशक/प्रमुख

प्रतिलिपि : -

1. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
2. निदेशक (ईसी) के निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर मुख्यालय के निजी सचिव
4. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सचिव
6. विधि सलाहकार के निजी सचिव
7. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी को इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध सहित।